

भाग-III

जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक
मोटर मार्ग

लम्बाई- 8.00 किमी०

(प्रस्ताव संख्या 47308 / 2020)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं। प्रस्तावित मोटर मार्ग अन्तर्गत 08.00 किमी० की लम्बाई में कुल 16 बॉज के वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। अतः अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अलग से कोई निरीक्षण न कर प्रभागीय वनाधिकारी के स्थलीय निरीक्षण दिनांक 27.09.2020 के आधार पर ही सहमति व्यक्त की जा रही है।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट- II में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 27.07.2022।

स्थान:- अल्मोड़ा।

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 358 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक 28-7-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील मुनस्यारी में जोशा से गांधीनगर तक मोटर मार्ग
प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/47308/2020।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ की पत्र संख्या 7926/12-1 (2)
दिनांक 02.06.2022।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत
मोटर मार्ग से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव की 03 हार्ड कॉपियां Part-I, Part-II and Part-III सहित संलग्न कर
बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा
रही है।

संलग्न- 03 हार्ड कॉपियां।

भवदीय

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।